INDIA PARTNER Dabur GROUP

अवीवा न्यू फैमिली इनकम बिल्डर

AVIVA
| Life Insurance |

अवीवा न्यू फैमिली इनकम बिल्डर – नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग जीवन बीमा योजना जो आपके पैसे को दोगुना कर देता है।

अवीवा में हम आपके प्रिय जनों को आज और कल एक आरामदायक जीवन प्रदान करने के प्रति आपके प्रयासों और कड़ी मेहनत को पहचानते हैं। प्रस्तुत है अविवा न्यू फैमिली इनकम बिल्डर, एक बचत और सुरक्षा अभिविन्यस्त योजना जो आपको 12 वर्षों के नियमित भुगतान के रूप में रिटर्न की गारंटी देते हुए आपकी वित्तीय सहायता करता है। आपके असामयिक मृत्यु के मामले में, यह नियमित भुगतान आपके परिवार को पारित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके न रहने पर भी आप उन्हें वहीं जीवनशैली उपलब्ध करवाते रहेंगे।

अवीवा न्यू फैमिली इनकम बिल्डर – अनोखे आकर्षण

- **खुद के लिए आमदनी की गारंटी :**
  - 12 वर्षों तक हर वर्ष वार्षिक किस्त चुकाए और अगले 12 वर्षों के चुकाए गए किस्त का निम्न तरीके से दोगुना रकम पाएं:
    - 13 वें से 24 वें साल तक प्रत्येक वर्ष के अंत में वार्षिक किस्त का 1.5 गुना (करों और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर)।
    - 24 वें वर्ष के अंत में आखरी वार्षिक भुगतान के साथ देय वार्षिक किस्त के 6 गुना रकम की अतिरिक्त लाभ (करों और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर)।
  - इसके अलावा, आपको 12 वर्षों की किस्त भुगतान अवधि के अंत में प्रवेश के समय आपकी आयु के आधार पर गारंटीड टर्मिनल लाभ भी मिलता है।
- **आपकी मृत्यु की घटना में आपके परिवार के लिए आमदनी की गारंटी:**
  - यदि पॉलिसी के अवधि के दौरान मृत्यु होती है, तो वार्षिक किस्त के रकम का 1.5 गुना रकम (करों और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर) जो 12 नियमित किस्तों के समान है, देय होगा, जिसके तहत पहला इन्स्टॉलमेंट दावा सेटल करते समय दिया जाएगा और बाकी के 11 इन्स्टॉलमेंट बीमित व्यक्ति के प्रत्येक मृत्यु वर्षगाँठ पर देय होगा।
  - 11 वीं मृत्यु वर्षगाँठ पर आखरी वार्षिक इन्स्टॉलमेंट सहित "वार्षिक किस्त के 6 गुना रकम" का अतिरिक्त लाभ देय होगा।
  - इसके अलावा, आपके द्वारा नामांकित व्यक्ति को भी प्रथम भुगतान के साथ गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट मिलता है।

अवीवा न्यू फैमिली इनकम बिल्डर – पात्रता

<table>
<tr><th>पैरामीटर</th><th colspan="2">मानदंड</th></tr>
<tr><td>प्रवेश आयु</td><td colspan="2">6 से 50 साल पिछले जन्मदिन के अनुसार</td></tr>
<tr><td>परिपक्वता आयु</td><td colspan="2">18 से 62 वर्ष पिछले जन्मदिन के अनुसार</td></tr>
<tr><td>नीति अवधि</td><td colspan="2">12 साल</td></tr>
<tr><td>प्रीमियम भुगतान अवधि</td><td colspan="2">12 साल</td></tr>
<tr><td>भुगतान अवधि परिपक्वता के बाद</td><td colspan="2">12 साल की अवधि यानी 13 वीं से 24 वें वर्ष</td></tr>
<tr><td>वार्षिक प्रीमियम (न्यूनतम)</td><td colspan="2">₹40,000</td></tr>
<tr><td>वार्षिक प्रीमियम (अधिकतम)</td><td colspan="2">₹1,00,00,000 (प्रति जीवन)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">सुनिश्चित राशि</td><td colspan="2">बीमित राशि आपके वार्षिक प्रीमियम से 24 गुना है</td></tr>
<tr><td>न्यूनतम बीमा राशि</td><td>अधिकतम बीमा राशि</td></tr>
<tr><td>₹9,60,000 (न्यूनतम का वार्षिक प्रीमियम ₹40,000 X 24)</td><td>प्रति जीवन ₹ 24,00,00,000 (अधिकतम वार्षिक ₹1,00,00,000 का प्रीमियम X 24)</td></tr>
<tr><td>प्रीमियम भुगतान आवृत्ति</td><td colspan="2">केवल वार्षिक</td></tr>
</table>

कृपया ध्यान दें:

1. करों में वस्तु एवं सेवा कर, उपकर शामिल है लेकिन इन तक सीमित नहीं है और सरकार द्वारा समय–समय पर प्राप्त सूचना के अनुसार ये प्रयोज्य कर लागू किए जाएंगे। कर की विधियां परिवर्तन के अधीन है।
2. पॉलिसी के लिए लागू किस्त के अलावा पूर्व दिनांकित अवधि के लिए 9% प्रति वर्ष, मासिक चक्रवृद्धि, का ब्याज चुका कर पॉलिसी को तत्काल वित्तीय वर्ष के अंतर्गत पूर्व दिनांकित किया जा सकता है।
3. यदि पॉलिसी की शुरुआत में बीमित व्यक्ति एक नाबालिग है:
   - वह पॉलिसी धारक किस्तों का भुगतान करेगा जो बीमित व्यक्ति का माता/पिता या दादा/दादी या कानूनी अभिभावक हो। किस्तों के भुगतान की अवधि पूर्ण होने से पहले पॉलिसी धारक की मृत्यु की घटना में बीमित व्यक्ति के जीवित माता/पिता/कानूनी अभिभावक द्वारा भविष्य के किस्तों का भुगतान किया जाएगा। यदि बीमित व्यक्ति एक नाबालिग है और यदि भविष्य के किस्तों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो व्यपगत/प्रदत्त प्रावधान लागू होगा।
   - पॉलिसी के शुरुआत की तिथि से ही जोखिम तत्काल शुरू हो जाएगी।
   - पॉलिसी धारक के मृत्यु के घटना में, जहाँ बीमित व्यक्ति एक नाबालिग है, वहां दावा दाखिल करने और दस्तावेज़ी प्रमाण जमा करने पर बीमित व्यक्ति के माता/पिता/कानूनी अभिभावक को पॉलिसी धारक समझा जाएगा। बीमित व्यक्ति के पिछले जन्मदिन को 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर यह पॉलिसी बीमित व्यक्ति में निहित होगी।

अवीवा न्यू फैमिली इनकम बिल्डर – योजना के लाभ

मैचुरिटी लाभ

यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी समाप्त होने तक जीवित रहता है और यदि सभी बकाया किस्तों का भुगतान किया गया हो, तो मैचुरिटी पर निम्नलिखित तरीके से आपको आश्वस्त रकम का भुगतान मिलेगा:

- प्रति वर्ष के अंत में, भुगतान अवधि के दौरान "वार्षिक किस्त का 1.5 गुना रकम" (करों और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर) का 12 नियमित इन्स्टॉलमेंट अदा किया जाएगा।
- भुगतान अवधि के अंत में, "वार्षिक किस्त का 6 गुना रकम" (करों और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर) का एकमूठ रकम अदा किया जाएगा।

किस्त भुगतान अवधि के अंत में, प्रवेश की आयु के आधार पर एक अतिरिक्त गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट भुगतान किया जाता है।

नियमित आमदनी प्राप्त करते हुए बीमित व्यक्ति के दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के घटना में, नामांकित व्यक्ति/लाभार्थी को बकाया नियमित भुगतान अदा किया जाएगा।

उदाहरण के लिए: आपकी उम्र 35 साल है और आप 12 वर्षों के लिए ₹1 लाख + लागू कर प्रति वर्ष देते हैं। 12 वें वर्ष के अंत में आपको गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट के रूप में ₹8000/– मिलेगा और 13 वें वर्ष से लेकर 24 वें वर्ष के अंत में, अगले 12 वर्षों में हर साल नियमित आमदनी के रूप में ₹24 लाख मिलेगा, जो ₹1.5 लाख के समान है और 24 वें वर्ष के अंत में आखरी भुगतान के साथ ₹6 लाख की संवर्धित लाभ देय होगी।

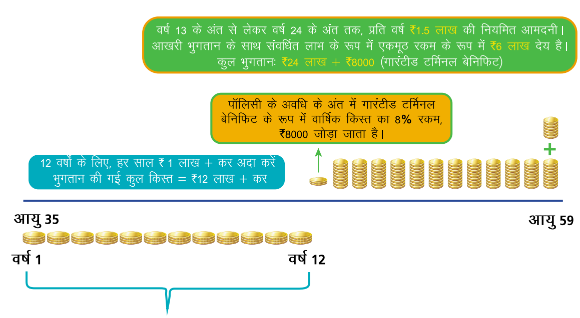

मृत्यु लाभ

यदि पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और यदि मृत्यु की तिथि तक की सभी देय किस्तों का भुगतान किया गया हो, तो मृत्यु पर देय आश्वस्त रकम वह होगा जो निम्न रकमों में से सबसे अधिक हो:

क) वार्षिकृत किस्त का 10 गुना रकम, या

ख) मृत्यु की तिथि को भुगतान किए गए सभी किस्तों का 105% रकम (करों और किसी अन्य किस्त, यदि हो, को छोड़कर), या

ग) मैचुरिटी आश्वस्त रकम

घ) पॉलिसी की आश्वस्त रकम; आश्वस्त रकम का भुगतान निम्न तरीके से किया जाएगा:

- "वार्षिक किस्त का 1.5 गुना रकम" (करों और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर) का 12 नियमित इन्सटॉलमेंट अदा किया जाएगा। पहला इन्सटॉलमेंट दावा सेटल करते समय दिया जाएगा और बाकी के 11 इन्सटॉलमेंट बीमित व्यक्ति के प्रथम मृत्यु वर्षगाँठ की तिथि से शुरू कर, प्रत्येक मृत्यु वर्षगाँठ पर देय होगा।
- बीमित व्यक्ति की 11 वीं मृत्यु वर्षगाँठ पर 12 वीं वार्षिक इन्सटॉलमेंट सहित "वार्षिक किस्त के 6 गुना रकम" की एकमूठ राशि अदा की जाएगी।

इसके अलावा, मृत्यु दावा सेटल करते समय देय लाभों सहित एक अतिरिक्त गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट भी प्रदान किया जाएगा, जो प्रवेश के समय आपकी आयु पर निर्भर होगा।

उदाहरण के लिए:

पॉलिसी के छठे वर्ष के दौरान, बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में (पॉलिसी की शुरुआत पर 35 वर्ष का)

- पॉलिसी जारी होने की तिथि: 1 नवम्बर, 2015
- पॉलिसीधारक 6 वर्षों के लिए वार्षिक किस्त के रूप में ₹1 लाख + कर देता है और 1 दिसंबर, 2020 को मर जाता है।
- दावा 1 जनवरी, 2021 को सेटल हो जाता है।
- नामांकित व्यक्ति/लाभार्थी को मिलेगा:

क. 1 जनवरी 2021 को ₹1.5 लाख, उसके साथ ₹8000 (गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट)

ख. अगले 11 सालों के लिए हर साल 1 दिसंबर को ₹1.5 लाख

ग. ₹1.5 लाख की 12 वीं इन्सटॉलमेंट के साथ ₹6 लाख

अत:, नामांकित व्यक्ति/लाभार्थी को कुल ₹24,08,000/- मिलेगा।

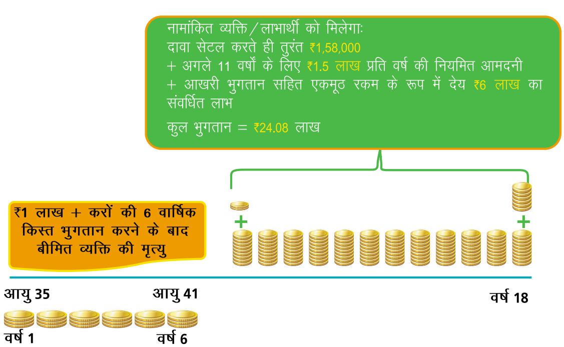

गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट

मृत्यु का दावा सेटल करते समय या किस्त भुगतान अवधि के अंत में, जो भी पहले हो, प्रवेश की आयु के अनुसार एक गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट देय होगा।

प्रवेश बैंड पर आयु वर्ष	गारंटीड सेवांत लाभ
6-15	वार्षिक प्रीमियम का 12 प्रतिशत
16-25	वार्षिक प्रीमियम का 10 प्रतिशत
26-35	वार्षिक प्रीमियम का 8 प्रतिशत
36-40	वार्षिक प्रीमियम का 6 प्रतिशत
41-45	वार्षिक प्रीमियम का 4 प्रतिशत
46-50	वार्षिक प्रीमियम का 2 प्रतिशत

वार्षिक किस्त में कर और भुगतान की गई अतिरिक्त किस्त, यदि हो, शामिल नहीं है।

यपगत/ रिवाइवल/ समर्पण का प्रावधान

यदि कम से कम 3 वर्षों की किस्त अदा नहीं की गई है

- पॉलिसी के पहले 3 वर्षों के दौरान, यदि छूट की अवधि समाप्त होने से पूर्व बकाया किस्त भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी व्यपगत हो जाएगी।
- यदि प्रथम आदत्त बकाया किस्त की तिथि से दो वर्षों के भीतर (रिवाइवल अवधि) एक व्यपगत पॉलिसी को रिवाइव नहीं किया गया, तो रिवाइवल अवधि के अंत में निम्न रकमों का भुगतान करने के बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
  - यदि पहले वर्ष की किस्त चुकाई गई है, तो भुगतान की गई किस्त का 30% रकम (करों और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर) देय होगा।
  - यदि दो वर्ष की किस्त चुकाई गई है, तो भुगतान की गई किस्त का 60% रकम (करों और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर) देय होगा।
- एक व्यपगत पॉलिसी के अधीन, यदि रिवाइवल अवधि के दौरान मृत्यु होती है, तो तो मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई किस्त का 100% रकम (करों और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर) लौटा दिया जाएगा और पॉलिसी समाप्त कर दी जाएगी।
- कोई अन्य लाभ देय नहीं होगा।

यदि कम से कम 3 वर्षों की किस्त अदा की गई है

कम से कम 3 वर्षों की किस्त अदा करने के बाद, यदि उसके बाद छूट की अवधि समाप्त होने से पहले किसी नियत किस्त का भुगतान न किया गया, तो:

- पॉलिसी एक प्रदत्त पॉलिसी बन जाएगी।

$$\text{प्रदत्त आश्वस्त रकम} = \frac{\text{भुगतान की गई किस्तों की कुल संख्या} \times \text{मृत्यु आश्वस्त रकम}}{\text{अनुबंध के अधीन देय किस्तों की कुल संख्या}}$$

- निम्न तरीके से, अपघटित प्रदत्त लाभ दिया जाएगा:

पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने के मामले में, प्रदत्त आश्वस्त रकम निम्न तरीके से देय है:

- "वार्षिक किस्त का 1.5 (भुगतान की गई किस्तों की संख्या/ 12) गुना रकम" (करों और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर) का 12 नियमित इन्सटॉलमेंट अदा किया जाएगा।
  - पहला इन्सटॉलमेंट मृत्यु दावा सेटल करते समय दिया जाएगा सहित गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट × (भुगतान की गई किस्तों की संख्या/ 12)।
  - बाकी का 11 वार्षिक इन्सटॉलमेंट बीमित व्यक्ति के पहले मृत्यु वर्षगांठ से शुरू होकर प्रत्येक मृत्यु वर्षगाँठ पर दिया जाएगा।
- 12 वीं वार्षिक इन्सटॉलमेंट के साथ "वार्षिक किस्त का 6 (भुगतान की गई किस्तों की संख्या/ 12) गुना रकम" (करों और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर) का एकमूठ रकम अदा किया जाएगा।

बीमित व्यक्ति का मैचुरिटी तक जीवित रहने के मामले में, प्रदत्त आश्वस्त रकम निम्न तरीके से देय है:

- गारंटीड टर्मिनल लाभ X किस्त भुगतान अवधि के अंत में (भुगतान की गई किस्तों की संख्या/12)
- प्रति वर्ष के अंत में, भुगतान अवधि के दौरान "वार्षिक किस्त का 1.5* (भुगतान की गई किस्तों की संख्या/12) गुना रकम" (करों और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर) का 12 नियमित इन्स्टॉलमेंट अदा किया जाएगा।
- भुगतान अवधि के अंत में, "वार्षिक किस्त का 6* (भुगतान की गई किस्तों की संख्या/12) गुना रकम" (करों और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर) का एकमूठ रकम अदा किया जाएगा।

रिवाइवलः

पॉलिसी धारक के पास एक व्यपगत/प्रदत्त पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए प्रथम आदत्त किस्त की तिथि से दो वर्ष होगा। पॉलिसी धारक को रिवाइव की जानी रकम के आधार पर कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित तत्कालिक अंडरराइटिंग नीति के अनुसार कंपनी के संतुष्टि के अनुरूप बीमित व्यक्ति के निरंतर बीमायोग्यता का प्रमाण जमा करना होगा और सभी बकाया किस्तों सहित रिवाइवल शुल्क और विलंबित अवधि के लिए आदत्त बकाया किस्त पर ब्याज भुगतान करेगा। रिवाइवल शुल्क ₹250 है और 9% प्रति वर्ष, मासिक चक्रवृद्धि का ब्याज दर लागू है। एक बार पॉलिसी की अवधि समाप्त होने पर प्रदत्त पॉलिसी को रिवाइव नहीं किया जा सकता है।

समर्पण मूल्य (एसवी)

कम से कम 3 वर्षों की किस्त अदा करने पर, पॉलिसी का किसी भी समय समर्पण किया जा सकता है। देय समर्पण मूल्य वह रकम होगा जो गारंटीड समर्पण मूल्य और विशेष समर्पण मूल्य में से अधिक हो।

- **गारंटीड समर्पण मूल्य :**

गारंटीड समर्पण मूल्य निम्न के समान होगाः

आत्मसमर्पण की पॉलिसी वर्ष	
3	30% प्रीमियम* भुगतान किया
4 - 8	50% प्रीमियम* भुगतान किया
9	60% प्रीमियम* भुगतान किया
10	70% प्रीमियम* भुगतान किया
11	90% प्रीमियम* भुगतान किया
12	90% प्रीमियम* भुगतान किया

*जीएसवी की गणना में इस्तेमाल की गई किस्त में कर और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, शामिल नहीं होगा।

- **विशेष समर्पण मूल्यः**

विशेष समर्पण मूल्य निम्न के समान होगाः
विशेष समर्पण मूल्य घटक x प्रदत्त मूल्य
कंपनी समय–समय पर आईआरडीएआई के पूर्व अनुमोदन से विशेष समर्पण मूल्य घटक (एसएसवी) में संशोधन करेगी।

महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

कर लाभ

कर लाभ, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80C और 10(10(D)) के अनुसार होगा। कर लाभ प्रचलित कर विधियों के अनुसार है और यह परिवर्तन के अधीन है।

छूट की अवधि

अपने किस्त का भुगतान करने हेतु, किस्त देने की नियत तिथि से 30 दिनों की छूट की अवधि मिलती है।

नामांकन एवं समनुदेशन

इस बीमा के तहत समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अधीन परिभाषित नामांकन की अनुमति है।

इस बीमा के तहत समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अधीन परिभाषित समनुदेशन की अनुमति है।

ऋण

अवीवा इस पॉलिसी के प्रति ऋण प्रस्तुत नहीं करेगी।

फ्री–लुक अवधि

पॉलिसी धारक को पॉलिसी दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अंतर्गत पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों की समीक्षा करने का अधिकार है। यदि पॉलिसी धारक फ्री लुक अवधि के दौरान अपनी पॉलिसी रद्द करता है, तो कंपनी रद्दीकरण की तिथि को किस्त में से समानुपाती जोखिम किस्त और चिकित्सा व्यय, यदि हो, और स्टैम्प ड्यूटी पर वहन की गई खर्चे काटने के बाद किस्त वापस लौटा देगी।

आत्महत्या दावा प्रावधान और अपवाद (यदि कोई हो)

12 महीनों के भीतर आत्महत्या के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु घटने परः

i. पॉलिसी के शुरुआत की तिथि से, पॉलिसी धारक द्वारा नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी किसी कर के भुगतान और अतिरिक्त किस्तों के छोड़कर भुगतान की गई किस्तों का 80% रकम पाने का अधिकारी होगा, बशर्ते पॉलिसी प्रभाव में हो, या

ii. पॉलिसी के रिवाइवल की तिथि से, पॉलिसी धारक द्वारा नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी वह रकम पाने का अधिकारी होगा, जो किसी कर के भुगतान और अतिरिक्त किस्तों के छोड़कर भुगतान की गई किस्तों के 80% रकम और मृत्यु की तिथि को उपलब्ध समर्पण मूल्य में से अधिक होगा।

स्वीकृति

जोखिमों की स्वीकृति और पूरी किस्त मिलने तक अविवा किसी भी दावे के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा।

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41

समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 लागू होगी। तत्कालिक उपबंधों के अनुसारः

(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिमों के संबंध में एक बीमा लेने या रिवाइव करने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन में सम्पूर्ण या आंशिक छूट या पॉलिसी पर प्रदर्शित किस्तों में कोई छूट देने के लिए प्रलोभन के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अनुमति नहीं देगा या अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं देगा, और न ही पॉलिसी लेने या रिवाइव करने या जारी रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसी छूट को स्वीकार करेगा, केवल उन छूटों के अलावा जो बीमा कंपनी द्वारा प्रकाशित विवरण पुस्तिकाओं या तालिकाओं में स्वीकार्य हो।

(2) इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में यदि कोई व्यक्ति कोई चूक करता है तो उस पर दस लाख रूपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45

अनुबंध पर समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 लागू होगी।

अवीवा के बारे में

अवीवा में ही निवेश क्यों करें?

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया – डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और यूके में स्थित एक बिमा कंपनी, अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है, भारत के साथ जिसका सहयोग 1834.से रहा है। अवीवा जीवन बीमा चुन कर, आप विश्व के सबसे पुराने बीमा समूहों के प्रबंधन अनुभव से लाभ प्राप्त करते हैं, इस क्षेत्र में 1696 से जिसका इतिहास रहा है। आज, अविवा ग्रूप के 16 देशों में 33 मिलियन ग्राहक हैं (2016)।

पूछताछ और शिकायत:

अधिक जानकारी, पूछताछ या शिकायतों के लिए कृपया नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें:

1800 103 7766 (बीएसएनएल/एमटीएनएल उपयोगकर्ताओं के लिए टोल–फ्री) या 0124-2709046 या SMS "Aviva" to 5676737
फैक्स नं.: 0124- 2571210

AVIVA
| Life Insurance |

डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड

मुख्य कार्यालय: अवीवा टावर, सेक्टर रोड, गोल्फ कोर्स के सामने,
डीएलएफ़ फेज–V, सेक्टर 43, गुडगाँव-122 003, हरियाणा, भारत।
फोन: +91 0124 -2709000, फैक्स: +91 0124 -2571210
वेबसाइट: www.avivaindia.com
ई–मेल: customerservices@avivaindia.com

पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टॉलस्टॉय मार्ग,
नई दिल्ली-110 001, भारत

Corporate Identity Number (CIN): U66010DL2000PLC107880

फर्जी फोन कॉल और जाली/ठगी के ऑफ़र्स से सावधान: IRDA की सार्वजनिक घोषणा:

- IRDA या इसके अधिकारी किसी प्रकार के बीमा या फाइनैंशियल प्रोडक्ट की बिक्री या फिर प्रीमियम इन्वेस्टमेंट जैसे कार्य नहीं करते हैं।
- IRDA किसी बोनस की घोषणा नहीं करता है। ऐसे फोन कॉल आने पर फोन नंबर के साथ कॉल विवरण सहित पुलिस में ज़रूर शिकायत करें।

ऊपर प्रदर्शित ट्रेड लोगो अवीवा ब्रॉण्ड्स लिमिटेड का है और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड लाइसेंस के तहत इसका उपयोग करती है। कर के लाभ मौजूदा कर विधियों के अनुसार है जो परिवर्तनशील है। अवीवा का न्यू फैमिली इनकम बिल्डर एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, बचत के प्रति अभिविन्यस्त बीमा योजना है। कृपया ध्यान दें कि मूल आधार दस्तावेज़ अंग्रेजी में है और इसके संदर्भ में आपकी आसानी के लिए स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। अनुवाद के कारण उत्पन्न होने वाली विविध व्याख्या के मामले में अंग्रेजी संस्करण हर समय स्थानीय भाषा का अधिग्रहण करेगा। भारत का IRDA पंजीकरण संख्या 122, UIN: 122N103V03, Advt No. Jul 14/17.